

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:-

मॉडल विधायक आवासन परियोजना अन्तर्गत ₹423.77 करोड़ की लागत से अवशेष बचे 201 आवासों एवं अन्य सन्निहित कार्यों को पूर्ण करने हेतु कुल ₹629,06,70,000/- (छः सौ उनतीस करोड़ छः लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की वित्तीय वर्ष 2022-23 में द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

महाराज,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्य हेतु प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग द्वारा संशोधित तकनीकी अनुमोदन पत्रांक-118(नि.) अनु0 दिनांक-31.01.2023 प्रदत्त है, के आधार पर विषयांकित कार्य हेतु कुल ₹629,06,70,000/- (छः सौ उनतीस करोड़ छः लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- इस कार्य पर व्यय की जानेवाली राशि "मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन-लघुशीर्ष-700-अन्य आवास उपशीर्ष-0101-अन्य आवास विपत्र कोड-03-4216017000101 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- विषयांकित कार्य हेतु स्वीकृत राशि का व्यय निम्न प्रकार से किया जायेगा:-
(i) वित्तीय वर्ष 2022-23 - ₹50.00 लाख
(ii) वित्तीय वर्ष 2023-24 - ₹352.00 करोड़
(iii) वित्तीय वर्ष 2024-25 - ₹71.2724275 करोड़
- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ब्य एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा। यह मात्र प्रशासनिक स्वीकृति है। विषयांकित कार्य हेतु आवंटन के साथ निर्गत व्ययदेश के उपरान्त ही राशि की निकासी की जा सकेगी।
- इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0-2, भवन निर्माण विभाग, पटना होंगे।
- इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि के व्यय के पूर्व एजेन्सी द्वारा इस कार्य के संबंध में संतुष्ट होकर नियमानुसार भुगतान करेंगे।
- प्रस्तुत योजना की स्वीकृति मंत्रि परिषद द्वारा सं0सं0-भवन/मु0अभि0(प0)यो0प्राक0-1-28/23 के पृष्ठ-12/टि. पर दिनांक-24.02.2023 को प्रदान की गयी है। जो संकल्प सं0-1953(भ), दिनांक-03.03.2023 द्वारा अधिसूचित है।
- वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-भवन/मु0अभि0(प0)यो0प्राक0-1-28/23 के पृष्ठ-11.6./टि0 पर प्राप्त है।
- वित्त विभागीय परिपत्र सं0-7355 वि0(2) दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इस राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वसभाजन,

(मनीष कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक- 248 (व)

पटना,

दिनांक-

16/3/23

प्रतिलिपि-वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

P.T.O

(100)

ज्ञापांक- 248 (व)

पटना,

दिनांक-

16/3/23

प्रतिलिपि-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(पटना)/ निरूपण उपभाग/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना/उप निदेशक-1 एवं 2 अनुश्रवण/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0-2/बजट पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

R

207

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

संकल्प

विषय:- मॉडल विधायक आवासन परियोजना अन्तर्गत ₹423.77 करोड़ की लागत से अवशेष बचे 201 आवासों एवं अन्य सन्निहित कार्यों को पूर्ण करने हेतु कुल ₹629,06,70,000 /- (छ: सौ उनतीस करोड़ छ: लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

मॉडल विधायक आवासन योजना के लिए विभागीय पत्रांक-270(म), दिनांक-30.12.2011 द्वारा स्थूल प्राक्कलन के आधार पर ₹307.73 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। उक्त योजना अन्तर्गत निर्माण किये जाने वाले बंगलों एवं उससे जुड़े सुविधाओं के विकास हेतु ₹450.32 करोड़ की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-01, दिनांक-29.05.2014 द्वारा प्रदान की गयी।

1. मॉडल विधायक आवास योजना अन्तर्गत माननीय सदस्य विधानसभा के परिसर के निर्माण कार्य के मुख्य अवयवों में 246 अद्द डुप्लेक्स बंगलों का निर्माण कार्य, हॉस्टल का निर्माण कार्य, सामुदायिक केन्द्र के साथ सभागार, लाईब्रेरी एवं कैटिन, मेन्टेनेन्स, लॉन्डरी, सुरक्षा केन्द्र, एस0टी0पी0, डब्लू0टी0पी0 एवं परिसर विकास आदि शामिल है। माननीय विधानपरिषद सदस्यों के अवासीय परिसर के निर्माण कार्य के मुख्य अवयवों में 75 अद्द डुप्लेक्स बंगलों का निर्माण कार्य, हॉस्टल का निर्माण कार्य, सामुदायिक केन्द्र, लाईब्रेरी एवं कैटिन, मेन्टेनेन्स, लॉन्डरी, सुरक्षा केन्द्र, एस0टी0पी0, डब्लू0टी0पी0 एवं परिसर विकास आदि शामिल किया गया है।

2. विभागीय पत्रांक-01, दिनांक-29.05.2014 के द्वारा ₹450.32 करोड़ के लिए प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत माननीय सदस्य विधानसभा के परिसर में कुल 65 डुप्लेक्स बंगलों का निर्माण कार्य, एस0टी0पी0, डब्लू0टी0पी0, परिसर विकास आदि कार्य पूर्ण होने के उपरांत हस्तगत किया गया है। माननीय सदस्य विधानपरिषद के परिसर में कुल 55 डुप्लेक्स बंगलों का निर्माण कार्य, एस0टी0पी0, डब्लू0टी0पी0 परिसर विकास आदि कार्य पूर्ण होने के उपरांत हस्तगत किया गया है। समेकित रूप से इस कार्य में अद्यतन कुल ₹205,05,64,042.00 व्यय किया जा चुका है।

योजना के क्रियान्वयन में कार्य एजेंसी द्वारा कार्य की अपेक्षित प्रगति नहीं रखने एवं अप्रत्याशित विलम्ब किये जाने के कारण उनके एकरारनामा को नियमानुसार दिनांक-02.07.2020 को प्रथमवार विखंडित किया गया। तदोपरांत माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन में दिनांक-27.08.2021 से पुनः कार्य प्रारंभ किया गया जिसमें माननीय सदस्य विधानसभा के परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 01 वर्ष यानि दिनांक-26.08.2022 एवं माननीय सदस्य विधानपरिषद के परिसर का निर्माण पूर्ण करने हेतु 08 माह यानि दिनांक-26.04.2022 तक का अतिरिक्त समय संवेदक को दिया गया। परन्तु, दिये गये अतिरिक्त अवधि में भी योजना की प्रगति काफी धीमी रही। इस प्रकार निर्माण एजेंसी को बार-बार समय देने पर भी कार्य में अप्रत्याशित विलम्ब किये जाने, अपेक्षित प्रगति नहीं रखने तथा निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण माननीय सदस्य विधानसभा एवं माननीय सदस्य विधानपरिषद के परिसर के निर्माण कार्य के एकरारनामा को क्रमशः दिनांक 30.12.2022 एवं दिनांक 28.01.2023 को पुनः विखंडित किया गया।

2.1 विखंडन के उपरांत माननीय सदस्य विधानसभा के परिसर के निर्माण कार्य के शेष बचे 181 बंगलों एवं अन्य बचे सभी कार्य हेतु अद्यतन दर पर कुल प्राक्कलित राशि ₹361,22,16,605.00 तथा माननीय सदस्य विधानपरिषद के परिसर के निर्माण कार्य के शेष बचे 20 बंगलों एवं अन्य बचे सभी कार्य हेतु अद्यतन दर पर कुल प्राक्कलित राशि ₹62,55,07,670.00 है, अर्थात् माननीय सदस्य विधानसभा एवं माननीय सदस्य विधानपरिषद के परिसरों के अवशेष निर्माण कार्य हेतु कुल समेकित राशि ₹423,77,24,275.00 मात्र आती है। प्राक्कलित राशि में वृद्धि का मुख्य कारण निम्नवत है:-

(क) प्रथम पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलन बिहार अनुसूचित दर 2013 आधारित है। अवशेष कार्यों का प्राक्कलन अनुसूचित दर 2022 के आधार पर है।

(ख) सभी बंगलों में फर्नीचर, बार्डरोव, ए0सी0, मॉड्यूलर किचेन आदि का अतिरिक्त कार्य तथा माननीय सदस्य विधानसभा के परिसर में सभी अल्यूमिनियम बिन्डों के स्थान पर यू0पी0भी0सी0 बिन्डों के अधिष्ठापन एवं परिसर में एस0टी0पी0, डब्लू0टी0पी0 तथा अग्नि सुरक्षा से संबंधित कार्यों का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। साथ ही माननीय सदस्य विधानसभा छात्रावास भवन में पूर्व के (भूतल+4) भवन के स्थान पर आवश्यकता के अनुसार (भूतल+6) भवन का प्रावधान किया गया है।

2.2 विभागीय संकल्प सं0-12051 (भ) दिनांक 14.12.2016 के द्वारा मॉडल विधायक आवासन भवन परियोजना अन्तर्गत माननीय सदस्य विधान सभा के अवासीय परिसरों के लिए अलग-अलग निविदा आमंत्रित कर कार्य कराने की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है। चूंकि मॉडल विधायक आवासन योजना के अन्तर्गत माननीय सदस्य विधानसभा एवं माननीय सदस्य विधानपरिषद के परिसरों के निर्माण हेतु समेकित रूप से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः माननीय सदस्य विधानसभा के परिसर के शेष बचे कार्य एवं माननीय सदस्य विधानपरिषद के परिसर के शेष बचे कार्य को मिलाकर समेकित रूप से निविदा आमंत्रित की जाएगी।

3. यह योजना राज्य योजना के अन्तर्गत सम्पोषित होगी। उक्त योजना से संबंधित प्राक्कलन पर मुख्य अभियंता (निरूपण), भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 118(नि0) दिनांक 31.01.2023 द्वारा ₹629,06,70,000/- (छ: अरब उनतीस करोड़ छ: लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र का संशोधित पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन दिया गया है।

3.1 मॉडल विधायक आवासन योजना अन्तर्गत माननीय सदस्य विधानसभा के परिसर में कुल 246 डुप्लेक्स बंगलों का निर्माण होना है तथा माननीय सदस्य विधानपरिषद परिसर में कुल 75 डुप्लेक्स बंगलों का निर्माण होना है। माननीय सदस्य विधानसभा परिसर के शेष बचे 181 डुप्लेक्स बंगलों एवं माननीय सदस्य विधानपरिषद परिसर के शेष बचे 20 डुप्लेक्स बंगलों के कार्यों सहित अन्य कार्यों को पूर्ण करने की अवधि 18(अठारह) माह होगी।

4. उक्त योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹50.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹352.00 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹71.2724275 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया है, जिसका व्यय "मांग संख्या-03 के मुख्य शीर्ष-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-सरकारी रिहाशी भवन लघु शीर्ष-700-अन्य आवास उपशीर्ष-0101-अन्य आवास विपत्र कोड-03-4216017000101 के विषयशीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंधित कुल ₹4,40,00,00,000/- (चार अरब चालीस करोड़) रुपये से वहन किया जायेगा।

5. मॉडल विधायक आवासन परियोजना अन्तर्गत ₹423.77 करोड़ की लागत से अवशेष बचे 201 आवासों एवं अन्य सन्निहित कार्यों को पूर्ण करने हेतु कुल ₹629,06,70,000/- (छः सौ उनतीस करोड़ छः लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-24.02.2023 की बैठक में मद संख्या-22 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल ₹629,06,70,000/- (छः सौ उनतीस करोड़ छः लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार सहित अन्य सभी संबंधितों को प्रेषित की जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11/3/23
(कुमार रवि)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भ०/मु०अ०(प०)यो०प्राक्-1-28/2023 1953 (1) पटना, दिनांक- 3/3/23
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को (दो हार्ड कॉपी के साथ)
बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि इस संकल्प की पाँच सौ मुद्रित प्रतियाँ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाए।

11/3/23
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भ०/मु०अ०(प०)यो०प्राक्-1-28/2023 1953 (1) पटना, दिनांक- 3/3/23
प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार वीरचंद पटेल पथ, पटना को (दो अतिरिक्त प्रतियाँ सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/23
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भ०/मु०अ०(प०)यो०प्राक्-1-28/2023 1953 (1) पटना, दिनांक- 3/3/23
प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/मा. मंत्री भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग/मुख्य वास्तुविद्/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/निरूपण उपभाग, निदेशक (अनुश्रवण)/उप निदेशक-1 एवं 2 अनुश्रवण/अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-2/पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

11/3/23
सरकार के सचिव

12

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख झापांक-1591 दिनांक-23.02.2023 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-24.02.2023 में गद संख्या-22 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी सचिका लौटायी जाती है।

22. मॉडल विधायक आवासन परियोजना अन्तर्गत ₹423.77 करोड़ की लागत से अवशेष बचे 201 आवासों एवं अन्य सन्निहित कार्यों को पूर्ण करने हेतु कुल ₹629,06,70,000/- (छः सौ उनतीस करोड़ छः लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

22. स्वीकृत।

(निशीथ वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

शुभ/प्र
कुमार

शुभ/प्र

24/2
राजेश कुमार

आपने महत्वपूर्ण। तुरंत आगे बढ़ें।

प्र.पदा / श्री आशिष

24.2.23

शुभ/प्र
24/02/23

पृष्ठ-2014-19/प्र.पत्रांक-1591 दिनांक-23.02.23